



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 99/2020

दायर दिनांक 19.03.2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र सुखदेवा राम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी पायली, तहसील-डीडवाना, जिला नागौर राज.।		1. सुखदेवाराम पुत्र भुवानाराम उम्र 79 वर्ष 2. दोलाराम पुत्र सुखदेवाराम उम्र 53 वर्ष 3. कानाराम पुत्र सुखदेवाराम उम्र 50 वर्ष 4. गीता पुत्री सुखदेवाराम उम्र 62 वर्ष 5. साऊ पुत्री सुखदेवाराम उम्र 60 वर्ष 6. केसर पुत्री सुखदेवाराम उम्र 58 वर्ष 7. भागु पुत्री सुखदेवाराम उम्र 56 वर्ष 8. विमला पुत्री सुखदेवाराम उम्र 50 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी

--: निर्णय ::-

दिनांक 13.08.2021

वाके सरहद पायली के खेत खसरा सं0 265 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 264 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 285 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 19.11.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 366 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 366 दिनांक 07.04.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)



--: आदेश :-

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद पायली के खेत खसरा सं० 265 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं० 264 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं० 285 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 366 दिनांक 07.04.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 366 दिनांक 07.04.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा) क्लर्क
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 99/2020

दायर दिनाँक 19.03.2020

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र सुखदेवा राम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी पायली, तहसील-डीडवना, जिला नागौर राज.।		1. सुखदेवाराम पुत्र भुवानाराम उम्र 79 वर्ष 2. दोलाराम पुत्र सुखदेवाराम उम्र 53 वर्ष 3. कानाराम पुत्र सुखदेवाराम उम्र 50 वर्ष 4. गीता पुत्री सुखदेवाराम उम्र 62 वर्ष 5. साऊ पुत्री सुखदेवाराम उम्र 60 वर्ष 6. केसर पुत्री सुखदेवाराम उम्र 58 वर्ष 7. भागु पुत्री सुखदेवाराम उम्र 56 वर्ष 8. विमला पुत्री सुखदेवाराम उम्र 50 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88 R.T.Act.

दिनाँक 13.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई श्री शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद पायली के खेत खसरा सं0 265 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 264 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 285 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 366 दिनाँक 07.04.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 366 दिनाँक 07.04.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)